उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : *www.ukmssb.org*, Phone : *0135-2665366*(O)

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0(स्वा0कार्य0) / 12 / 2021–22 / 532 दिनांक 03 जून, 2022

–:कार्यालय ज्ञापः–

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0(स्वा0कार्य0) / 12 / 2021–22 / 130 दिनांक 15 मार्च, 2022 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अर्न्तगत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन के प्रस्तर 7 'आयु' में आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 तथा अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2021 की न्यूनतम 18 वर्ष हो तथा 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, लागू सेवा नियमों के अनुसार रखी गई है। उक्त के अतिरिक्त कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 191 / XXX(2) / 2021–30(10)2019, निांक 26 जुलाई 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूदह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021–22 में संगत सेवा नियमवाली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

02– उक्त विज्ञापन के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर संविदा में की गई सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में छूट प्रदान करने तथा ''उत्तराखण्ड, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष एवं महिला) सेवा नियमावली– 2022'' के नियम–25 में दी गई शिथिलीकरण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने के अनुतोष के साथ विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गई हैं।

03– मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं पर भिन्न–भिन्न तिथियों को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किये गये हैं कि सम्बन्धित रिट याचिकाकर्ता द्वारा सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें और यदि याचिकाकर्ता ऐसे प्रत्यावेदन प्रस्तुत करती हैं तो उन प्रत्यावेदन पर चार हफ्तों के अन्तर्गत निर्णय लिया जाय और यह भी निर्णय लिया कि रिट याचिकाकर्ता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में इस हेतु आवेदन जमा करेंगे, जो कि शासन द्वारा याचीगणों के प्रत्यावेदन पर लिए गए निर्णय के अधीन होगा। तद्क्रम में याचिकाकर्ताओं को उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने करने की अंतिम तिथि (13 अप्रैल, 2022 सांय 05.00 बजे तक) ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ताओं द्वारा भरे गये ऑफलाईन आवेदन पत्र सम्बन्धित रिट याचिका के अन्तर्गत पारित आदेश तथा सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा याचिकाओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में लिए जाने वाले निर्णय के अधीन रखा गया।

04– शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या e-file/Comp.No-21599/2022 दिनांक 17 मई 2022 में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन पर निम्न निर्णय लिया गया– ''उत्तराखण्ड, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष और महिला) सेवा नियमावली, 2016 यथा संशोधित नियमावली 2021 तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या– दिनांक 26 जुलाई 2021 एवं प्रस्तर–8 के आलोक में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में प्रदत्त आदेशों के क्रम में तत्सम्बन्धी प्राप्त समस्त प्रत्यावेदनों को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है''

05– अतः शासन द्वारा याचिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रत्यावेदनों को निस्तारित करने के क्रम में विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0(स्वा0कार्य0) / 12 / 2021–22 / 130 दिनांक 15 मार्च, 2022 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों हेतु **मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में भरे गये समस्त 27 ऑफलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा इन ऑफलाइन आवेदन पत्रों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा– 2022 में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।**

ह0 / –
(गरिमा रौंकली),
सचिव